न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा/2008/277

1. भौरीलाल (मृतक)

1/1 तीजा बेवा भौरीलाल

1/2 गोर्वधन मीणा पुत्र भौरीलाल

1/3 लछमा बेंवा भगवान सहाय पुत्र वधू भौरीलाल

1/4 राहिताश पुत्र भगवान सहाय पौत्र भौरीलाल

1/5 रामकेश पुत्र भगवान सहाय नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता लछमा बेवा भगवान सहाय

1/6 ममता पुत्री भगवान सहाय

1/7 शंकर लाल पुत्र भौरीलाल

1/8 गोपाल पुत्र भौरीलाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– वादी–

बनाम

1. बस्सी सीतारामपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति निवासी बाईस गोदाम सोडाला जयपुर।

–प्रतिवादी–

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय – **दिनांक : 25.10.2019**

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि हाल खसरा नंबर 299 रकबा 0.42 है0, 300 रकबा 0.13 है0, 301 रकबा 0.09 है0, 302 रकबा 0.26 है0, 309 रकबा 0.20 है0, 310 रकबा 0.21 है0, 311 रकबा 0.21 है0, 312/481 रकबा 0.04 है0, 317 रकबा 0.27 है0, 433 रकबा 0.34 है0, 434 रकबा 1.19 है0, 444 रकबा 0.34 है0, 445 रकबा 0.19 है0, 446 रकबा 0.18 है0, 449 रकबा 0.10 है0, 450 रकबा 0.11 है0, 452 रकबा 0.23 है0, 456 रकबा 0.15 है0, 457 रकबा 0.30 है0, 458 रकबा 0.08 है0, 459 रकबा 0.01 है0, 460 रकबा 0.15 है0, 461 रकबा 0.21 है0 कुल किता 23 कुल रकबा 5.43 हैक्टेयर ग्राम बडी का बास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें खसरा नंबर 444 रकबा 0.36

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर भूमि यहां वादग्रस्त है। वादी ने अपनी कब्जेशुदा व खातेदारी भूमि में से खसरा नंबर 299, 300, 301, 302, 317, 446, 449, 317, 462, 463, 468, 314, 469, एवं 470 की भूमियों का विक्रय प्रतिवादी के हक में पूर्व में कर दिया था एवं शेष बची भूमियों खसरा नंबर 444, 445, 450, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 474, 475 पर वादी शांतिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त है और अपनी कब्जेशुदा व खातेदारी भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहा है एवं लगान राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा है। प्रतिवादी खातेदारों से उनकी खातेदारी भूमि क्रय कर उन्हें भूखण्डों में काटकर बेचने का व्यवसाय करता है। प्रतिवादी सोसायटी के प्रतिनिधि भूमाफिया है एवं लाठी की ताकत वाले व्यक्ति है जिनका की वादी की कब्जेशुदा व खातेदारी भूमि खसरा नंबर 444 से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी सोसायटी के प्रतिनिधि वादी से बेवजह रंजिश रखते है एवं इसलिए दिनांक 27.04.2008 को अपने साथ कुछ अजनबी लोगों को लेकर वादी की कब्जेशुदा व खातेदारी भूमि 444 पर आये एवं उन्हें वादी की कब्जेशुदा एवं खातेदारी भूमि दिखाने लगे इस पर वादी को चिन्ता हुई उसने जाकर प्रतिवादी सोसायटी के प्रतिनिधियों से जाकर पूछा कि तुम इन्हें मेरी कब्जेशुदा एवं खातेदारी भूमि क्यों दिखा रहे हो तो वह कहने लगे कि हमने तो यह भूमि खरीद रखी है और इन लोगों को इसे बेच दिया है और अब इस पर इन अजनबी (खरीददारों) का निर्माण करायेगे तो वादी ने उन्हे कहा कि मैने तुम्हे यह भूमि कभी बेची ही नंही यदि बेची है तो कागज दिखाओ इस पर प्रतिवादी सोसायटी के प्रतिनिधि व अजनबी लोग भडक उठे एवं उन्होंने वादी को धमकी दी कि हम लोग जबरन लाठी की ताकत पर तुम्हे तुम्हारी कब्जेशुदा व खातेदारी भूमि पर से जबरन बेदखल कर पुख्ता निर्माण कार्य करवाकर रहेगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते क्योकिं हमारी उपर तक पहुंच है और यदि तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद बहक वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वे वादी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 444 रकबा 0.36 हैक्टेयर पर से वादी को जबरन बेदखल करने का प्रयास नहीं करें, वादी के शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत एवं बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादी की कब्जेशुदा व खातेदारी भूमि में जबरन पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करें, ना ही भूमिवादग्रस्त को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करें, ना ही अजनबी केतागण भूमि वादग्रस्त पर जबरन पुख्ता निर्माण सामग्री डाले उक्त समस्त कार्य ना तो वह स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ प्रमाणित प्रति जमाबंदी ग्राम बडी का बास संवत् 2062 से 2065, नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्रतिलिपि ग्राम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

बडी का बास तहसील सांगानेर, फोटो प्रति निर्णय दिनांक 20.05.2002 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नही होने पर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वादी की ओर से साक्ष्य गोपाल पुत्र भौरीलाल, रोहिताश पुत्र भगवान सहाय व तीजा बेवा भौरीलाल पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

वादपत्र पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। बहस वकील वादी सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2062–2065 वाकै ग्राम बडी का बास पटवार क्षेत्र बीलवाकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर से स्पष्ट है कि खसरा नंबर 444 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार भौरीलाल पुत्र रामनाथ कौम मीणा दर्ज रिकॉर्ड है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जो डी–1 जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 20.05.2002 की फोटो प्रति से स्पष्ट कि भौरीलाल ने वादग्रस्त खसरा नंबर 444 का बेचान समिति को नही किया था। वादग्रस्त भूमि भौरीलाल की खातेदारी भूमि थी। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा, वादीगण को बेदखल करने, व निर्माण कार्य करने पर आमादा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजियात खसरा नंबर 444 रकबा 0.36 हैक्टेयर वाकै ग्राम बडी का बास पटवार क्षेत्र बीलवाकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में वादीगण को जबरन बेदखल करने का प्रयास नहीं करें, वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की कोई मजाहमत एवं बाधा उत्पन्न नहीं करें, वादीगण की कब्जेशुदा व खातेदारी भूमि में जबरन पुख्ता निर्माण कार्य नहीं करें, ना ही भूमिवादग्रस्त को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करें उक्त समस्त कार्य ना तो वह स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2019.11.14 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: